राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

पौष 09, गुरूवार, शाके -1943-दिसम्बर 30, 2021
Pausa 09, Thursday , Saka 1943- December 30, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

एस.ओ.637 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2021

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधा) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधा.- (1) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान विधान सभा के सदस्य, वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जैसीकि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित, के अधीन राज्य सरकार के अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, सदस्य और उसका कुटुंब सरकारी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल, लोक निजी भागीदारी व्यवस्था के अधीन अस्पताल/रैफरल अस्पताल में एक बिस्तर वाले विशेष वार्ड में नि:शुल्क वास-सुविधा और यदि ऐसे वार्ड में वास-सुविधा उपलब्ध नहीं है तो दो से अनधिक बिस्तरों वाले विशेष वार्ड या किसी डिलक्स वार्ड, जो भी उपलब्ध हो, में वास-सुविधा का हकदार होगा।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 1964 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

[सं.7(1)संसद/2021]

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
Notification
Jaipur, December 30, 2021

G.S.R.637 .-In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 2021

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Medical Facilities admissible.- (1) Subject to the provision contained in sub-rule (2), the members of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to the same medical facilities as are available to the Officers of the State Government under the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in rule 13 of the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013, a member and his family shall be entitled to free accommodation in a special ward with a single bed and if accommodation in such a ward is not available, accommodation in a special ward consisting of not more than two beds or any deluxe ward whichever may be available in the Government Hospitals, Approved Hospital, Hospital under the Public Private Partnership Arrangement /Referral Hospital.

3. **Repeal and Savings**.- The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under these rules.

[No. 7(1)Sansad/2021]
By order of the Governor,

Praveer Bhatnagar,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.